विशेष अभियान

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर

क्रमांक :– एफ 7(2) ( ) राछा./सान्याअवि/15/4914-48 जयपुर, दिनांकः 29-1-2015

उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला
परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
....

विषयः–दिनांक 06.02.2015 से 15.02.2015 तक छात्रावास भवनों के रंग–रोगन एवं मरम्मत आदि कार्यों के लिए आयोजित विशेष अभियान की सफल क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास भवनों की भौतिक दशा, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, मरम्मत आदि कार्य यथा साफ–सफाई की उपयुक्त व्यवस्था की अत्यन्त आवश्कता महसूस की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में, विभागीय छात्रावास भवनों में लघु प्रकृति की मरम्मत, शौचालय एवं स्नान घर की मरम्मत एवं उनकी उपयुक्त स्थिति, बिजली,वायरिगं फिटिंग, सैनेट्री,मरम्मत आदि कार्यों की समयबद्व क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 06.02.2015 से 15.02.015 तक विशेष अभियान का आयोजन नियत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 मे छात्रावास भवनों में मरम्मत आदि कार्यों के लिए लेखाशीर्ष 2225–01–196–(02)–[02] –72 आयोजना मद एवं लेखाशीर्ष 2059–80–053–(22) –[00] –21 आयोजना भिन्न मद में सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि आवंटित की गई है। विभागीय संशोधित आदेश क्रमांक 59508 दिनांक 18.11.2014 द्वारा छात्रावासों की सामान्य मरम्मत, बिजली, वाईरिग व फिटिंग, रंग रोगन, सफेदी, सेनेटरी मरम्मत, पलंग मरम्मत आदि कार्यों के लिए प्रति आवासी प्रति माह राशि 50 रूपयें का प्रावधान भी नियत किया गया है।(प्रतिलिपी संलग्न)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्थित राजकीय छात्रावास भवनों में रंग रोगन, मरम्मत, बिजली एवं पानी की उपयुक्त आपूर्ति की स्थिति अभियान के दौरान सुनिश्चित करावें। छात्रावासों में अनुपयोगी स्थाई सामान का निस्तारण/नीलामी भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करावें।

दिनांक 06.02.2015 से 15.02.2015 तक आयोजित विशेष अभियान का पर्यवेक्षण निदेशालय स्तर से नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

28.1.15
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

D:\Radha kishan mena new\sunil je\LATTER

क्रमांक :– एफ 7(2) ( ) राछा./सान्याअवि/15/4948-530 जयपुर, दिनांक: 29-1-2015

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थःएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके जिले में स्थित विभागीय छात्रावासों की उपयुक्त भौतिक स्थिति की सुनिश्चितता हेतु विशेष अभियान की प्रभावी क्रियान्विति हेतु आप भी अपने स्तर पर आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
5. वित्तीय सलाहाकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यावास को राजकीय छात्रावासों में अनुपयुक्त/अनुपयोगी स्थाई सामान के निस्तारण/नीलामी की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।
6. अतिरिक्त निदेशक (अनु०जाति/जनजाति कल्याण) मुख्यावास ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (मुख्यावास)

निदेशक

D:\Radha kishan mena new\sunil je\LATTER